



स्वामी विवेकानन्द
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
लोहाघाट (चम्पावत)
(कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

उत्तराखण्ड शासन द्वारा चयनित आदर्श महाविद्यालय

विवरणिका



2016-17



प्रवेश हेतु आवेदन पत्र सहित

यह विवरणिका महाविद्यालय कार्यालय से उपलब्ध होगी। प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भरते समय इसमें दिये गये नियमों को सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए।

आवेदन पत्र सहित मूल्य ₹ 40/-

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, चम्पावत (उत्तराखण्ड)

संक्षिप्त परिचय

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत) हिमालय की उपत्यकाओं से निस्सरित कलकल-ध्वनि से युक्त लोहावती सरिता के तट पर बसे लोहाघाट नगर में स्थित है। यहाँ की सुरम्य एवं शान्तिप्रदायनी प्रकृति महाविद्यालय की गरिमा एवं महिमा में चार चाँद लगाती है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1979 में बी० ए० एवं बी० कॉम विषयों के साथ हुई थी। श्रेष्ठ प्रशासन, कर्मठ एवं प्रोत्साहक प्राध्यापकों समस्त कर्मचारियों, उत्साही एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों तथा जागरुक अभिभावकों के सहयोग के कारण इस महाविद्यालय की उत्तराखण्ड के परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थिति है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा विशिष्ट (आदर्श) महाविद्यालय के रूप में चयनित किया गया है तथा NAAC द्वारा C** श्रेणी दी गयी है। वर्तमान समय में महाविद्यालय में स्नातक (बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० कॉम०) के साथ ही स्नातकोत्तर (हिन्दी, भूगोल, राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं एम० कॉम०, विज्ञान में एम०एससी० जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में बी०बी०ए० (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), टूरिज्म एवं ट्रेवल मैनेजमेन्ट (एक वर्षीय डिप्लोमा), तथा डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी (एक वर्षीय डिप्लोमा) संचालित हो रहे हैं। छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेशनल कैडेट कोर की सुविधाएँ हैं। विद्यार्थियों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए विभागीय परिषदों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें अनेक शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उत्तराखण्ड शासन में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा पारित शासनादेश के अनुपालन में महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में सत्र 2016-17 प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं।

विज्ञान संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम (बी0 एस0सी0)

(क) फाउण्डेशन कोर्स :- प्रवेशार्थी हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक विषय को ऐच्छिक रूप में ले सकता है।

(ख) प्रवेशार्थी को निम्नलिखित विषय समूह में से एक चयन करना होगा।

1. भौतिक विज्ञान, गणित / रसायन विज्ञान / भूगोल
2. वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान / भूगोल

न्यूनतम अर्हता : उत्तराखण्ड बोर्ड से 50 प्रतिशत एवं सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से 55 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0एस0सी0) सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित

1. जन्तुविज्ञान (10 स्थान) 2. वनस्पति विज्ञान (10 स्थान) 3. रसायन विज्ञान (15 स्थान)
उपर्युक्त सभी विषयों के प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश) के लिए गुणांक निर्धारण प्रक्रिया से होगा।

कला संकाय

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0ए0) सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित

1. हिन्दी (30 स्थान)
2. भूगोल (30 स्थान)
3. राजनीति विज्ञान (30 स्थान)
4. अर्थशास्त्र (30 स्थान)
5. संस्कृत (30 स्थान)
6. अंग्रेजी (30 स्थान)

स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0)

बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित दो संकायों (कला संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय) में से किसी एक संकाय से तीन विषयों का चयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा में से किसी एक विषय का चयन बी0ए0 प्रथम वर्ष में अनिवार्य होगा।

कला संकाय : 1. हिन्दी साहित्य 2. अंग्रेजी साहित्य 3. संस्कृत 4. शिक्षाशास्त्र
5. गणित 6. गृह विज्ञान

सामाजिक विज्ञान संकाय :

1. अर्थशास्त्र 2. इतिहास 3. राजनीति विज्ञान 4. मनोविज्ञान 5. समाजशास्त्र 6. भूगोल
अनिवार्य अर्हता : उत्तराखण्ड बोर्ड से 45 प्रतिशत अंकों के साथ या सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 / अन्य बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

वाणिज्य संकाय

स्नातकोत्तर कक्षाएँ (एम0 कॉम0) उपलब्ध सीटें - 20

सभी अनिवार्य प्रश्न पत्र सेमेस्टर I, II, III, IV

स्नातक पाठ्यक्रम (बी0 कॉम0)

अनिवार्य अर्हता : उत्तराखण्ड बोर्ड से 45 प्रतिशत अंकों के साथ या सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 / अन्य बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा वाणिज्य विषय के अतिरिक्त अन्य विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

नोट - प्रत्येक संकाय में अनुमन्य सीटों पर श्रेष्ठता क्रम के आधार पर निर्धारित तिथि तक ही प्रवेश दिये जायेंगे।

विशेष - शासन के निर्देशानुसार अप्रवासी कश्मीरी नागरिकों को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

बी0 एड0 पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित)

आवंटित सीटें : 50 - कला वर्ग : 30, विज्ञान वर्ग : 20

प्रवेश प्रक्रिया - कुमाऊँ विश्वविद्यालय बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वारा भेजे जायेंगे।

शुल्क विवरण - ₹0 35,000/- (शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)

₹0 1,000/- (धरोहर राशि वापसी योग्य)

पाठ्यक्रम समन्वयक - डा0 उषा पन्त जोशी (विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2010-11 में अपरीजनल सेन्टर संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिससे प्रदेश में सेवारत, दूरस्थ स्थानों निवास करने वाले युवा विशेषकर महिलायें जो नियमित अध्ययन हेतु अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होकर सुगमता से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

MASTER DEGREE PROGRAMMES

1. MCA
2. MBA
3. MSW
4. Master Of Science In IT
5. Master Of Geo Informatics
6. M.A. - Education, Psychology, Music, Journalism, Hindi, Sanskrit, English, Urdu, Yoga, Economics, Pol.Sci., Public Ad., History, Sociology, Tourism, Hotel Management, Geography
7. M.Sc.-Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, Env. Science, Geography

BACHELOR DEGREE PROGRAMMES

1. BCA
2. BBA
3. B.Com.
4. B.A. - Arts
5. B.A. - Yoga
6. B.Sc. - ZBC, BioTech, P.C.M., Tourism, Hotel Management

P.G. DIPLOMA PROGRAMMES

1. PGDCA - Computer Application
2. PGDMV - Music
3. PGDBJ - Broadcast & New Media
4. PGDMM - Marketing
5. PGDESD - Environment
6. PGDGRS - Remote Sensing
7. PGDGIS - Geo Informatics
8. PGDJMC - Journalism
9. PGDHRM - Human Resources
10. PGDAPR - Advt. & Public Relations
11. PGDDM - Disaster Management
12. PGDCL - Cyber Law

DIPLOMA PROGRAMMES

1. DVAPFV - Fruits & Vegetables
2. DMNWFV - Wood Forest Products
3. DIP - Panchkarm
4. DPJ - Phalit Jyotish
5. DHM - Hotel Management
6. DRS - Restaurant Management
7. DTS - Tourism
8. DCH - Commercial Horticulture
9. DPHCN - Health, Comm. Nutrition
10. DYN - Yoga & Naturopathy
11. DBP - Bhagwat Puran
12. DFO - Office Management
13. DFP - Food Prod. Management
14. DIT - Information Technology

PARAMEDICAL PROGRAMMES

1. B.Sc. MLT - Medical Laboratory Technology
2. DMRT - X-Ray Technology
3. DMLT - Diploma Medical Laboratory Technology
4. D.Opt. - Optometry

CERTIFICATE PROGRAMMES

1. Home Gardening
 2. Office Management
 3. Organic Farming
 4. Panchayati Raj
 5. Technical Excellence
 6. Food And Nutrition
 7. Ayurvedic Herb Cultivation
 8. Basic Workshop Techniques
 9. Computer Application
 10. Geo-Informatics
 11. Remote Sensing
 12. Herbal Beauty Care
 13. Preservation of Fruits and Vegetables
 14. Mass Media
 15. Naturopathy
 16. Commercial of Horticulture
 17. Medicinal & Aromatic Plants
 18. Phalit Jyotish
 19. Urdu
 20. Vedic Karmakand
 21. Vegetable Production
 22. Yogic Science
- Contact : Dr. Dharmendra Rathod (Coordinator) Mob. 9412032748

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश के

नियम

[सत्र 2016 – 2017]

अध्याय 1 साधारण नियम :-

- 1.1: विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किये जायेंगे। विज्ञान तथा वाणिज्य विषयों में प्रत्येक महाविद्यालय एवं परिसर के लिये सीटों की संख्या पूर्व वर्ष की भांति रहेगी।
- 1.2: विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा तथा इस तिथि के उपरान्त किये हुए किसी प्रवेश को निरस्त माना जायेगा। ऐसे किसी भी प्रवेश के लिए प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।
- 1.3: प्रत्येक विद्यार्थी व उसके अभिभावक को प्रवेश से पूर्व निम्नांकित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाणपत्र छात्र/छात्रा द्वारा स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 1.4: किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस /प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दंडित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

(क) छात्र द्वारा शपथ पत्र :

1- मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी

के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

- 2- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दिये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया कोई भी दण्ड मुझे मान्य होगा।
- 3- मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 4- यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षर महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

(ख) पिता अथवा अभिभावक की घोषणा :

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री /कु0/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महा विद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

- 1.5: जिन स्थानों में किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने की सुविधा वहाँ के स्थानीय अथवा निकट के परिसरों/महाविद्यालयों में उपलब्ध है उन स्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों का अन्य स्थानों के परिसरों/महाविद्यालयों में सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी विशेष कारण से किसी को प्रवेश मिला हो तो उस छात्र को उस विषय/संकाय के परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जायेगी।
- 1.6: जिस विद्यार्थी के नजदीक में महाविद्यालय न हो या उस महाविद्यालय में वह विषय न हो तो उसे निम्न सूत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा अर्थात् कुल प्राप्तांकों 5 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अन्य के अतिरिक्त अंक कुमाकूँ परिक्षेत्र का विद्यार्थी होने पर दिये जायेंगे।
 $X+2Y+2Z+T \quad 150+100+50+0$
- 1.7: किसी पाठ्यक्रम को पढ़ा सकने के लिये शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षा में स्थान तथा साधनों की उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर ही प्रवेश की संख्या निर्धारित की जाएगी

- 1.8: (क) जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 1.8: (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों की सूचना महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- 1.8: (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- 1.9: सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।
- 1.10: किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता अथवा अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये छात्रों की सूची महाविद्यालयों/परिसरों को परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद कुल सचिव द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी।
- 1.11: किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जमा न किया हो।
- 1.12: ऐसे छात्र/छात्राओं को जिसने नियमित प्रवेश लिया हो परन्तु बीमारी के कारण या किसी अन्य पुष्ट कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हो ऐसे छात्र/छात्रा के प्रवेश नियमावली के अन्य नियमों के अन्तर्गत सही होने की दशा में केवल एकबार पुनः उसी कक्षा विषय या संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।
- 1.13: जिस अभ्यर्थी ने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत प्रवेश लिया हो किन्तु अपरिहार्य कारण से उस कक्षा की उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका है तो उसे दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा परीक्षा प्रारम्भ से तीन माह पूर्व प्रति प्रायोगिक विषय रुपया 100 (एक सौ रुपये) शुल्क जमा करने के बाद दी जा सकती है।
- 1.14: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक -1144/कार्मिक -2-2001-53 (1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा जो कि निम्नवत है -

1. अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत

2. अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत
 3. अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत (नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र धारकों के लिए)
 नोट— महिलाओं, सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा -

1. महिलाएं	20 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक	02 प्रतिशत
3. विकलांग व्यक्ति	03 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।)

- 1.15: मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- (i) Extension in date of Admission by about 30 days.
- (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% Subject to minimum Eligibility requirement.
- (iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.
- (iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/ Professional institutions.
- (v) Waiving of domicile requirements.
- (vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

- 1.16: कुमाऊँ विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन को प्रत्येक कक्षा/विषय में 5 प्रतिशत अंको का लाभ प्रवेश हेतु दिया जायेगा। यह लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को ही प्रवेश हेतु देय होगा।

- 1.17: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा :-

- क- एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट-1 जी -2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी - 25 अंक
- ख- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कम से कम दस दिवसीय में भाग लेने पर 20 अंक
- ग- प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई /बहन 20 अंक
- घ- जम्मू- कश्मीर में तैनात अर्द्ध - सैनिकों के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगा भाई/बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उसके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगा भाई/बहन 20 अंक
- ड- विश्वविद्यालय की फस्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी 20 अंक

च- शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो । 25 अंक

छ- राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तरविश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर । 25 अंक

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो - अथवा

ज- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर - 50 अंक

नोट : उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा।

1.18: उपरोक्त 1-16 के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

1.19: स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर स्थान उपलब्ध होने तथा छात्र/छात्रा के अर्ह होने की दशा में विषय/संकाय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्तर्गत किया जा सकता है, तथा इस अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में विषय/संकाय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

1.20: प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी छात्र/छात्रा को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त से 8 वर्ष से अधिक की अवधि के उपरान्त (पाँच वर्ष स्नातक पर तथा तीन वर्ष परास्नातक स्तर पर) विश्वविद्यालय में किसी भी कक्षा में (विधि/शिक्षा को छोड़कर) प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1.21: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परन्तु निर्धारित अवधि के भीतर टी0 सी0 जना करना अनिवार्य है।

1.22: प्रत्येक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु छात्र को सम्बन्धित संकाय हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1.23: एक सत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उत्तराखण्ड शासन द्वारा (महाविद्यालयों में चल रहे डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

1.24: प्रत्येक छात्र हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत

उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा पाँच प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है। आनुपातिक कम उपस्थिति वाले छात्रों को 31.दिसम्बर तक सचेत कर दिया जाय तथा कम उपस्थिति होने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को परीक्षा में सम्मिलित न किया जायेगा।

नोट :-

- 1- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।
- 2.1 (ख) यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांक में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर एवं उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0 एड0 एवं एम0एड0 कक्षा में प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किये जायेंगे। पर्यटन डिप्लोमा, कम्प्यूटर डिप्लोमा, बी0 फार्मा, बायो टेक्नोलोजी, ई-कामर्स, बीबीए, बीसीए, बीएचएमसीटी, बीटैक, बीएससी (आईटी0) एमएससी (आईटी,) बीई काम, बी.लिव.एस.सी. में प्रवेश प्रक्रिया एवं अर्हता का निर्धारण अलग से किया जायेगा।
- 2.3: विश्वविद्यालय /महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से दाखिल प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो। यह सुविधा तभी दी जा सकेगी जब कि पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय से मिलता हो और महाविद्यालय में वार्ड द्वारा लिये गये सभी विषय पढाये जा रहे हों।
- 2.4: ऐसे विद्यार्थी जिन्हें स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तथा ऐसे अभ्यर्थी के स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होने पर सम्बन्धित कक्षा में स्थान रिक्त होने की दशा में द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए भी लागू होगी।
- 2.5: जिन महाविद्यालयों की कुल संख्या 400 से कम है वहाँ प्राचार्य महाविद्यालय की सुविधाओं एवं स्थानों को दृष्टि में रखकर विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता (40%) में अपने विवेकानुसार (उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के साथ) शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रवेशार्थियों को अनुमन्य कर सकते हैं किन्तु ऐसे छात्रों का प्रवेश के उपरान्त किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
- 2.6: शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों /संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।
- 2.7: ऐसे छात्र जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 1998 के अन्तर्गत बिना अर्हता पाठ्यक्रम किये स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- 2.8: स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कला एवं वाणिज्य संकाय में अर्हता पाठ्यक्रम में 50

- प्रतिशत एवं विज्ञान संकाय में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 2.9. विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रितों प्रवेश 10 प्रतिशत अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे जो कि 50 प्रतिशत अंकों से अतिरिक्त होंगे।
- 2.10: परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु अर्ह होने वाले अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि प्रवेश नियमों के अन्तर्गत तथा निर्धारित तिथि के भीतर स्नातक स्तर में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय वर्ष में अनन्तिम (Provisional) प्रवेश लिखित घोषणा-पत्र (Under-Taking) के आधार पर दिया जा सकेगा। यह प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लेना अनिवार्य है। सुधार परीक्षाफल के उपरान्त किसी भी प्रवेशार्थी को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.11: कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा।

1. बी० एस० सी० एवं बी० कॉम० परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा।
 2. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (भूगोल) में प्रवेश हेतु बी० एस० सी० द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र भी अर्ह माने जायेंगे।
 3. कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।
 4. एक वर्षीय पी० जी० डिप्लोमा एवं टूरिज्म कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा (यदि आवश्यक हो) द्वारा निर्धारित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश के लिए अर्ह माने जायेंगे।
 5. परास्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश) के लिए गुणांक निर्धारण प्रक्रिया (जहाँ लागू हो) :
परास्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश) के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा।
वरीयता गुणांक $I = X + 2Y + 2Z$
जहाँ X = स्नातक स्तर पर सभी विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा में कुल प्राप्तांक
 Y = स्नातक स्तर पर सभी विषयों की सैद्धान्तिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक
 Z = परास्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश) के विषयों में स्नातक स्तर पर सैद्धान्तिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक।
- स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषयों में से ही केवल एक विषय में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अनुमन्य होंगे।
 - एम०ए०/एम०काम० में प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक के आधार पर बनाई गई मेधा सूची से दिए जायेंगे।

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

- (क) प्रत्येक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रवेशार्थी के स्पष्ट हस्तलेख में भरा जाना चाहिए, आवेदन पत्र में समस्त विवरण एवं सूचनायें पूर्ण रूप से अंकित हो। आवेदन पत्र उल्लिखित (क) छात्र द्वारा शपथ के नीचे प्रवेशार्थी और (ख) पिता अथवा अभिभावक की घोषणा के नीचे पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य हों। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अपेक्षित हैं -
1. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज के नवीनतम तीन फोटो चिपकाने होंगे। परिचय पत्र के लिए एक फोटो और नथी करनी होगी।
 2. हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण - पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 3. हाईस्कूल के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 4. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 5. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) (यदि प्रवेशार्थी के अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की हो तब किसी सांसद/विधायक/स्थानीय निकाय के अध्यक्ष अथवा राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय) जो कि छः माह से अधिक पुराना न हो।
 6. पूर्व शिक्षण संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
 7. पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित होने का प्रमाण-पत्र।
 8. खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ।
 9. विगत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को उस विश्वविद्यालय का प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सार्टिफिकेट) जमा करना होगा।
 10. अन्य प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ (जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है)।
- (ख) द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रथम या द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक पत्र की अभिप्रमाणित प्रति लगाना आवश्यक होगा।
- (ग) महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
- (घ) महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्राचार्य द्वारा निर्धारित एवं सूचित दिनांक समय व स्थान पर आवेदन पत्रों की जाँच तथा प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त प्रवेशार्थ संस्तुति प्रदान करेगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।
- (ङ) प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर कार्यालय में शुल्क जमा न किया जाने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

शुल्क एवं प्रतिभूति राशि

महाविद्यालय में शुल्क (फीस) और सुरक्षित धन (कॉशन मनी) की दर निम्नलिखित हैं जिसमें शासनादेशों अथवा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है :-
छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शुल्क जमा होने के पश्चात कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

शुल्क विवरण बी०ए०

विवरण	शुल्क बी०ए० प्रथम	शुल्क बी०ए० द्वितीय	शुल्क बी०ए० तृतीय	
पुनः प्रवेश	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00	प्रयोगात्मक विषय होने पर प्रयोगशाला 240.00 अतिरिक्त शुल्क
विकास	₹ 24.00	₹ 24.00	₹ 24.00	
महंगाई	₹ 240.00	₹ 240.00	₹ 240.00	
पुस्तकालय	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00	
	₹ 270.00	₹ 270.00	₹ 270.00	
क्रीडा	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 400.00	प्रयोगात्मक विषय होने पर प्रयोगशाला काशनमनी ₹ 30.00
वाचनालय	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
पत्रिका	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00	
निर्घन	₹ 5.00	₹ 5.00	₹ 5.00	एवं प्रयोगात्मक मौखिक प्रति विषय ₹35.00+35.00=70.00
परिषद शुल्क	₹ 20.00	₹ 20.00	₹ 20.00	
छात्रसंघ/महासंघ10+2	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00	
विद्युत	₹ 125.00	₹ 125.00	₹ 125.00	
सांस्कृतिक परिषद	₹ 30.00	₹ 30.00	₹ 30.00	
परिचय पत्र	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
परीक्षा फार्म	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
परीक्षा	₹ 350.00	₹ 350.00	₹ 350.00	
भवन मरम्मत	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
जल आपूर्ति	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
काशनमनी	₹ 150.00	-	-	
नामांकन	₹ 50.00	-	-	
पर्यावरण	-	₹ 150.00	-	
महा.वि.विकास शुल्क	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
कैरियर काउन्सलिंग	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
योग	₹ 1485.00	₹ 1435.00	₹ 1285.00	

कक्षावार कुल शुल्क -

बिना प्रयोगात्मक विषय :- बी०ए० प्रथम - 270.00 + 1485.00 = 1755.00

बी०ए० द्वितीय - 270.00 + 1435.00 = 1705.00

बी०ए० तृतीय - 270.00 + 1285.00 = 1555.00

प्रयोगात्मक विषय:-

बी०ए० प्रथम एक प्रयो० विषय - 270+240+1485+30+70=2095

बी०ए० प्रथम दो प्रयो० विषय - 270+240+1435+30+70+70 = 2115

बी०ए० द्वितीय एक प्रयो० विषय - 270+240+1435+70 = 2015

बी०ए० द्वितीय दो प्रयो० विषय - $270+240+1435+70+70 = 2085$

बी०ए० तृतीय एक प्रयो० विषय - $270+240+1285+70 = 1865$

बी०ए० तृतीय दो प्रयो० विषय - $270+240+1285+70+70 = 1935$

शुल्क विवरण बी०काम०

विवरण	शुल्क बी० काम० प्रथम	शुल्क बी० काम० द्वितीय	शुल्क बी० काम० तृतीय
पुनः प्रवेश	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00
विकास	₹ 24.00	₹ 24.00	₹ 24.00
महंगाई	₹ 240.00	₹ 240.00	₹ 240.00
पुस्तकालय	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00
	₹ 270.00	₹ 270.00	₹ 270.00
क्रीडा	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 400.00
वाचनालय	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00
पत्रिका	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00
निर्घन	₹ 5.00	₹ 5.00	₹ 5.00
परिषद शुल्क	₹ 20.00	₹ 20.00	₹ 20.00
छात्रसंघ/महासंघ10*2	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00
विद्युत	₹ 125.00	₹ 125.00	₹ 125.00
सांस्कृतिक परिषद	₹ 30.00	₹ 30.00	₹ 30.00
परिचय पत्र	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00
परीक्षा फार्म	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00
परीक्षा	₹ 350.00	₹ 350.00	₹ 350.00
भवन मरम्मत	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00
जल आपूर्ति	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00
काशनमनी	₹ 150.00	-	-
नामांकन	₹ 50.00	-	-
पर्यावरण	-	₹ 150.00	-
महा.वि.विकास शुल्क	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00
कैरियर काउन्सलिंग	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00
योग	₹ 1485.00	₹ 1435.00	₹ 1235.00

कुल योग -

बी०काम० प्रथम - $270+1485 = 1755$

बी०काम० द्वितीय - $270+1435 = 1705$

बी०काम० तृतीय - $270+1235 = 1555$

शुल्क विवरण बी०एससी०

विवरण	शुल्क बी०एससी० प्रथम	शुल्क बी०एससी० द्वितीय	शुल्क बी०एससी० तृतीय	
पुनः प्रवेश	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00	
विकास	₹ 24.00	₹ 24.00	₹ 24.00	
महंगाई	₹ 240.00	₹ 240.00	₹ 240.00	
पुस्तकालय	₹ 3.00	₹ 3.00	₹ 3.00	
प्रयोगशाला	₹ 240.00	₹ 240.00	₹ 240.00	
	₹ 510.00	₹ 510.00	₹ 510.00	
क्रीडा	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 400.00	प्रयोगात्मक विषय होने पर प्रयोगशाला काशनमनी प्रथम वर्ष में रु 30.00 प्रति विषय एवं प्रयोगात्मक मौखिक प्रति विषय रु 70.00
वाचनालय	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
पत्रिका	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00	
निर्घन	₹ 5.00	₹ 5.00	₹ 5.00	
परिषद शुल्क	₹ 20.00	₹ 20.00	₹ 20.00	
छात्रसंघ/महासंघ 10%2	₹ 40.00	₹ 40.00	₹ 40.00	
विद्युत	₹ 125.00	₹ 125.00	₹ 125.00	
सांस्कृतिक परिषद्	₹ 30.00	₹ 30.00	₹ 30.00	
परिचय पत्र	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
परीक्षा फार्म	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
परीक्षा	₹ 350.00	₹ 350.00	₹ 350.00	
भवन मरम्मत	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
जल आपूर्ति	₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 25.00	
काशनमनी	₹ 150.00	-	-	
नामांकन	₹ 50.00	-	-	
पर्यावरण	-	₹ 150.00	-	
प्रयोगशाला काशनमनी	₹ 60.00	-	-	
प्रयोगात्मक मैखिकी	₹ 140.00	₹ 140.00	₹ 140.00	
महा.वि.विकास शुल्क	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
कैरियर काउन्सलिंग	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 50.00	
योग	₹1685.00	₹1575.00	₹1425.00	

प्रयोगात्मक विषय

- बी०एससी० प्रथम पी०सी०एम० ग्रुप - $510+1685 = 2195$
 बी०एससी० प्रथम जेड०बी०सी० ग्रुप - $510+1685+30+70 = 2295$
 बी०एससी० द्वितीय पी०सी०एम० ग्रुप - $510+1575 = 2085$
 बी०एससी० द्वितीय जेड०बी०सी० ग्रुप - $510+1575+30+70 = 2185$
 बी०एससी० तृतीय पी०सी०एम० ग्रुप - $510+1425 = 1935$
 बी०एससी० तृतीय जेड०बी०सी० ग्रुप - $510+1425+70+30 = 2035$

शुल्क विवरण एम०ए०/एम०एस०सी०

विवरण	शुल्क एम०ए० (हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान)/एम०काम० प्रथम सेमे०	शुल्क एम०ए० (भूगोल)/एम०एस०सी० प्रथम सेमे०
पुनः प्रवेश	₹ 3.00	₹ 3.00
विकास	₹ 24.00	₹ 24.00
महंगाई	₹ 240.00	₹ 240.00
पुस्तकालय	₹ 10.00	₹ 10.00
शिक्षण शुल्क	₹ 180.00	₹ 180.00
प्रयोगशाला	-	₹ 240.00
	₹ 457.00	₹ 697.00
क्रीड़ा	₹ 400.00	₹ 400.00
वाचनालय	₹ 25.00	₹ 25.00
पत्रिका	₹ 40.00	₹ 40.00
निर्घन	₹ 5.00	₹ 5.00
परिषद शुल्क	₹ 20.00	₹ 20.00
छात्र संघ/महासंघ 10+2	₹ 40.00	₹ 40.00
विद्युत	₹ 125.00	₹ 125.00
सांस्कृतिक परिषद	₹ 30.00	₹ 30.00
परिचय पत्र	₹ 25.00	₹ 25.00
परीक्षा फार्म	₹ 50.00	₹ 50.00
परीक्षा	₹ 400.00	₹ 400.00
भवन मरम्मत	₹ 50.00	₹ 50.00
जल आपूर्ति	₹ 25.00	₹ 25.00
पुस्तकालय काशनमनी	₹ 200.00	₹ 200.00
प्रयोगात्मक मौखिकी	₹ 75.00 + 75.00	₹ 75 + 75 + 75 + 75
प्रयोगशाला काशनमनी	-	₹ 30.00
महा.वि.विकास शुल्क	₹ 50.00	₹ 50.00
कैरियर काउन्सलिंग	₹ 50.00	₹ 50.00
योग	₹1685-00	₹1865.00
कुल योग	₹2142.00	₹2562.00
एस०सी० छात्रों के लिए	₹1962.00	₹2382.00

- नोट :- 1. समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शुल्क एक ही किश्त में लिया जायेगा।
2. शासन/वि०वि० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।

एम०ए० एवं एम०एस०सी० द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर
₹600 प्रयोगात्मक/₹450 बिना प्रयोगात्मक

शुल्क राशियों से सम्बन्धित नियम

- 1- प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत होने के बाद सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क एक मुश्त जमा करना होगा।
- 2- आवश्यक शुल्कादि जमा करने पर प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय रजिस्टर में दर्ज हो जायेगा और उसे शुल्क/रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
- 3- शुल्क की रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेशार्थी अपने चयनित विषय के रजिस्टर में अपना नाम लिखने के साथ-साथ पुस्तकालय कार्ड तथा परिचय पत्र भी बनवा सकेगा।
- 4- सभी छात्र छात्राएं परिचय पत्र नया प्राप्त करेंगे। जिन छात्र/छात्राओं के परिचय पत्र खो गये हों अथवा नष्ट हो गये हों वह निर्धारित शुल्क जमा कर नये परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- 6- महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी को कॉशन मनी वापस प्राप्त करने के लिए अदेय प्रमाण-पत्र सहित आवेदन करना पड़ता है।

कक्षा में उपस्थिति के नियम

- 1- प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को अपने टाइम-टेबल के अनुसार नियमित रूप से व्याख्यान कक्षाओं अथवा प्रयोगात्मक कक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए।
- 2- विश्वविद्यालय के नियमानुसार उक्त कक्षाओं में पूरे शिक्षा सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होगा।
- 3- अपेक्षा से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सूचना पट द्वारा अथवा लिखित रूप से सत्र में दो बार चेतावनी दे दी जाती है और सत्रान्त में जिनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम पाई जाती है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 4- जो विद्यार्थी महाविद्यालय टीम के साथ, दूर के साथ या शिविर के साथ कहीं जाते हैं वे वहाँ की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपने विषयों की कक्षाओं की उपस्थिति पंजिका में तत्सम्बन्धित उल्लेख करवा सकते हैं।

क्रीड़ा सम्बन्धी नियम

- 1- क्रीड़ा सामग्री केवल महाविद्यालय परिसर में खेलने के लिए ही निर्गत की जायेगी।
- 2- विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के लिए पहले टीम का गठन होगा। टीम के गठन की घोषित दिनांक को छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार से सम्बन्धित खेल की टीम का पुनः गठन होगा।
- 3- प्रतियोगिता हेतु क्रीड़ा-सामग्री सम्बन्धित टीम के कप्तान के सुझाव के उपरान्त टीम के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निर्गत की जायेगी। सम्बन्धित सामग्री को लौटाने का सामूहिक उत्तरदायित्व टीम के कप्तान का होगा। टीम के सदस्य सामग्री को लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। क्रीड़ा सामग्री जमा न करने अथवा बदल देने पर सामग्री का पूर्ण मूल्य महाविद्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्षा में बैठने से रोक दिया जायेगा।

- 4- महाविद्यालय टीम केवल जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय अथवा उच्च प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजी जायेगी तथा उसे नियमानुसार प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क, जलपान आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- महाविद्यालय में शारीरिक प्रवक्ता का पद नहीं है। अतः छात्रों / छात्राओं का यह कर्त्तव्य है कि वे क्रीड़ा प्रभारी को अधिकतम सहयोग प्रदान करें।

पुस्तकालय के नियम

महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें विषयों की पाठ्य एवं सन्दर्भ पुस्तकें उपलब्ध है :-

पुस्तकालय के नियम निम्नलिखित हैं :-

- 1- महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा कार्य दिवसों में 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत की जाती है प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन निश्चित होता है। शुल्क रसीद तथा परिचय पत्र दिखाकर विद्यार्थी निर्धारित दिवसों में पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- शोध विद्यार्थी कार्य दिवसों में अपराह्न 1 बजे से 5 बजे तक वाचनालय में अध्ययन हेतु सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। शोध विद्यार्थी को शोध सम्बन्धी पुस्तकें शोध निर्देशक (प्राध्यापक) की संस्तुति के उपरान्त निर्गत की जायेंगी।
- 3- स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को अधिकतम छः पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी को एक बार में चार पुस्तकें (उपलब्ध होने पर छः पुस्तकें) निर्गत की जायेंगी।
- 4- बुक बैंक के अलावा मुख्य पुस्तकालय से प्रत्येक छात्र की पुस्तक पढ़ने के लिए मात्र 14 दिन के लिए ही दी जायेगी 14 दिन के बाद पुस्तक न लौटाने पर अर्धदण्ड लिया जायेगा।
- 5- परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने और निर्धारित अवधि में लौटाने का दायित्व विद्यार्थी का है। एक बार ली गई पुस्तकों को वापिस करने के बाद ही अन्ना पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- पुस्तकें लौटाते समय उसके फटे होने, पन्ने निकलने, खराब होने की दशा में विद्यार्थी को उसके बदले नई पुस्तक देनी होगी अथवा पुस्तक का पूरा मूल्य चुकाना होगा।

वाचनालय

सामान्य ज्ञान वर्धन के लिए रिक्त वादनों में विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर विभिन्न पत्र-पत्रिका का अध्ययन करते हैं। वाचनालय में शान्ति पूर्ण आचरण अपेक्षित है। ताकि अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को असुविधा न होने पाये।

शास्ता-मण्डल

महाविद्यालय में गठित शास्ता-मण्डल द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को सुचारु रखना सुनिश्चित किया जाता है।

पुस्तकालय

विद्यार्थियों की सहायता के लिए महाविद्यालय में पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय प्राध्यापक प्रभारी की देख-रेख में संचालित होता है। पुस्तकालय से पुस्तकें देते समय निर्धन या पिछड़ी जाति के छात्रों व अवकाश प्राप्त सैनिकों व प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों के आश्रितों को वरीयता प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय के नियम निम्नलिखित हैं :-

- 1- पुस्तकालय से किसी छात्र/छात्रा को उपलब्ध होने पर अधिकतम दो पुस्तक दी जा सकती हैं।
- 2- छात्र/छात्रा को कुल निर्गत पुस्तकों के मूल्य की दस प्रतिशत रकम सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करनी होगी।
- 3- निर्गत पुस्तक परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- कटी-फटी या गुम पुस्तकों का पूर्ण मूल्य देय होगा।

शुल्क मुक्ति

इस महाविद्यालय में शासन के विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत तथा शिक्षा संहिता के आधार पर छात्र/छात्रा को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति प्रदान करने के नियम निम्नलिखित हैं :-

1- विशिष्ट शुल्क मुक्ति :-

शासन के आदेशों के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले छात्र/छात्राओं को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्ण शुल्क मुक्ति स्वीकृत की जाती है :-

- (क) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित।
- (ख) 1965 के बाद वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय नागरिक का आश्रित।
- (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति का विद्यार्थी।

2- शिक्षा संहिता के पैरा 106 के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति -

यदि किसी अभिभावक के अनेक पुत्र/पुत्रियाँ एक ही सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र हों, तब एक को छोड़कर शेष की अर्द्ध शुल्क मुक्ति स्वीकार की जाती है इसके लिए प्रवेश के बाद अभिभावक को अपने पुत्र/पुत्रियों के विवरण सहित प्रधानाचार्य के पास आवेदन करना होगा।

3- शिक्षा संहिता के पैरा 109/110 के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति :-

उपर्युक्त पैराओं के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को पूर्ण या अर्द्ध शुल्क मुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। अधिक छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राचार्य पूर्ण शुल्क मुक्तियों को अर्द्ध शुल्क मुक्तियों में भी विभाजित कर सकते हैं।

4- उपर्युक्त शुल्क मुक्तियों के लिए कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर प्राचार्य द्वारा निश्चित दिनांक तक वांछित प्रमाण पत्रों सहित जमा करना होगा प्राचार्य द्वारा गठित शुल्क मुक्ति समिति आवेदन पत्रों की जाँच तथा प्रार्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त उपयुक्त छात्र छात्राओं के नाम संस्तुत करेगी।

5- संस्तुत नामों की सूची के आधार पर प्राचार्य शुल्क मुक्ति सम्बन्धी आदेश जारी

करेंगे, जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुक्तियों से अधिक संख्या में नहीं हो सकता।

6- शुल्क मुक्ति स्वीकृत विद्यार्थी का सत्र पर्यन्त आचरण ठीक रहे और वह वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो अगली कक्षा में भी प्राचार्य उसे पूर्व स्वीकृत शुल्क मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।

7- शुल्क मुक्ति प्राप्त छात्रों के लिए यह उचित होगा कि अपनी शुल्क मुक्ति की पात्रता बनाए रखने के लिए अपने अध्ययन तथा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लें और अनुशासित रह कर संतोषप्रद प्रगति करें।

छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान

इस महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है जिसमें सम्बन्धित सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। इच्छुक छात्र/छात्राओं को ये सूचनायें देखना तथा आवेदन करना चाहिए।

- 1- अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति।
- 2- महाविद्यालय के निर्धन छात्र कोष से अनुदान।
- 3- कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वरसरी, पुस्तकालय क्रय अनुदान एवं परीक्षा शुल्क मुक्ति।
- 4- असेवित छात्रवृत्ति।
- 5- उत्तराखण्ड छात्र कल्याण निधि से निर्धन एवं मेधावी छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति।

-: छात्रों के आचार नियम :-

- 1- छात्र/छात्राओं को अनुशासित, विनम्र एवं शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिये।
- 2- छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट देखना चाहिए तथा सूचनाओं व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- 3- छात्र/छात्राओं को प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना कोई सभा नहीं करनी चाहिए।
- 4- छात्र/छात्राओं को अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।
- 5- छात्र/छात्राओं को एक आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण रखना चाहिए।
- 6- महाविद्यालय की दीवारों पर थूकना, उस पर लिखना फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्तियों के हानि पहुँचाना, आदि को गम्भीर अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा इसके लिए दोषी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा क्षतिपूर्ति भी कराई जायेगी।
- 7- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मद्यपान व गुटखा, तम्बाकू का सेवन वर्जित है।
- 8- छात्र/छात्राओं को अपने हितों से सम्बन्धित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए प्रभारी प्राध्यापक छात्र संघ से सम्पर्क करना चाहिए।
- 9- छात्र/छात्राओं को मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) या अन्य किसी प्राध्यापक द्वारा मागे जाने पर अपना परिचय पत्र दिखाना चाहिए। अतः परिचयपत्र सदैव साथ लायें।
- 10- छात्र/छात्राओं को अनुशासन सम्बन्धी शिकायतों के लिए मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) से मिलना चाहिए।
- 11- छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। छात्र-छात्राओं की वेशभूषा से उनका परिचय झलकता है इसलिए सामान्य वेशभूषा अपेक्षित है।
- 12- छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येतर कार्यक्रमों में सक्रिय

भाग लेना चाहिए।

- 13- छात्र/छात्राओं को अपने पारस्परिक व्यवहार एवं निष्ठा से महाविद्यालय में चली आ रही अनुशासन की स्वस्थ परम्परा को बनाये रखना चाहिए।
- 14- महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर फोन जब्त किया जा सकता है।

पाठ्येतर कार्य-कलाप

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्येतर कार्य-कलापों पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। इन कार्य-कलापों के द्वारा उनमें संगठन की योजना, नेतृत्व की क्षमता, सहयोग की भावना, भाषण की पटुता, नैतिक दृढ़ता और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है। महाविद्यालय के पाठ्येतर कार्य कलापों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

- 1- **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०):-** इस योजना के अन्तर्गत समाज सेवा सम्बन्धित कार्य एक दिवसीय व दस दिवसीय शिविरों में सम्पादित होते हैं। जैसे जन साक्षरता, वृक्षारोपण, ग्रामोत्थान, हरिजन कल्याण, सामूहिक श्रमदान आदि।
- 2- **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन० सी० सी०):-** छात्रों में सैनिक के गुणों का विकास कर उनमें राष्ट्र रक्षा की भावना जगाना उद्देश्य है। महाविद्यालय में 80 यू० ए० एन० सी० सी० पिथौरागढ़ की इकाई सत्र 2004 से खुल गई है। 53 कैडेट की इकाई है जिसमें 33 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित है।
एन०सी०सी० में चयनित कैडेट से धरोहर राशि के रूप में रू० 350/- जमा करवाये जायेंगे, जो कैडेट द्वारा एन०सी०सी० छोड़ने पर उसके द्वारा उसको निर्गत सामग्री महाविद्यालय में जमा करने पर वापस किये जायेंगे।
- 3- **क्रीड़ा परिषद :-** छात्र/छात्राओं की खेल कूद सम्बन्धी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली इस परिषद के तत्वावधान में महाविद्यालय के क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पादित होते हैं।
- 4- **सांस्कृतिक परिषद :-** छात्र/छात्राओं द्वारा संगठित यह परिषद महत्वपूर्ण अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ये कार्यक्रम मनोरंजक, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक होते हैं।
- 5- **छात्र संघ :-** छात्र/छात्राओं के कल्याण की योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने वाले इस संघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कठिनाईयों को दूर करके उनमें संस्था के प्रति अनुराग जगाना है। इस संघ का चुनाव छात्र/छात्राओं द्वारा ही किया जाता है।
- 6- **विभागीय परिषद :-** महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय परिषद है जिसके तत्वावधान में वाद-विवाद, निबन्ध लेखन, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- 7- **राष्ट्रीय पर्व :-** समस्त राष्ट्रीय पर्व व अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर भी महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सत्रान्त में वार्षिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जाता है।

- 8- रोवर्स रेन्जर्स :- इसके द्वारा छात्रों में सेवा एवं अनुशासन की भावना जागृत की जाती है, प्रान्तीय स्तर पर भी शिविर आयोजित होते रहते हैं।
- 9- प्रतियोगी कक्षाओं का संचालन- अनु० जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के बौद्धिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन प्रस्तावित है।

** अन्य नियम **

1- स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी० सी०)

इसके लिए छात्र/छात्रा को देयक प्रमाण-पत्र तथा एक रू० शुल्क सहित आवेदन करना पड़ता है। इसे जारी करने में सामान्यतया एक सप्ताह लगता है।

2- चरित्र प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थी को स्थायी चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। स्थायी चरित्र प्रमाण-पत्र टी०सी० के साथ दिया जाता है।

3- सुरक्षित धन (काशन मनी)

उसके लिए छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्तर्गत सामान्यतया अक्टूबर/नवम्बर माह में आवेदन करना पड़ता है। इसके भुगतान में भी एक सप्ताह का समय लगता है।

4- परिचय पत्र की दूसरी प्रतिलिपि

परिचय पत्र गुम होने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराने की प्रतिलिपि के साथ छात्र/छात्रा को पुनः परिचय पत्र शुल्क रू० 40/- तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र सहित देना होगा।

5- रेलवे कन्सेशन

दीर्घकालीन अवसरों के अवकाशों पर रेल से अपने स्थायी निवास तक जाने व लौटने के लिए आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय परिवार

शिक्षा सत्र 2016-2017
प्राचार्य - डॉ० के०के०एस० नेगी

कला संकाय / सामाजिक

विज्ञान संकाय

हिन्दी विभाग

- 1- डॉ० जगदीश चन्द्र जोशी
- 2- कुमारी शिवानी

संस्कृत विभाग

- 1- डॉ० कमलेश सक्टा
- 2- श्री वेदवृत्
- 3- रिक्त

अंग्रेजी विभाग

- 1- डॉ० महेश कुमार त्रिपाठी
- 2- एल्सा मैन्डोला
- 3- रिक्त

भूगोल विभाग

- 1- डॉ० तौफीक अहमद
- 2- डॉ० सुमन पाण्डेय
- 3- कुमारी पुष्पा

अर्थशास्त्र विभाग

- 1- डॉ० (श्रीमती) उषा पन्त जोशी
- 2- डॉ० अर्चना त्रिपाठी

राजनीति विज्ञान विभाग

- 1- डॉ० प्रकाश लखेड़ा
- 2- श्री रुचिर जोशी

गृहविज्ञान विभाग

- 1- डॉ० विद्या कुमारी

सैन्य विज्ञान विभाग

- 1- रिक्त

इतिहास 1- डॉ० विमला देवी

समाजशास्त्र 1- रिक्त

शिक्षाशास्त्र 1- श्रीमती स्वाति मेलकानी

मनोविज्ञान 1- श्री गुरुप्रीत सिंह

वाणिज्य संकाय

- 1- डॉ० धर्मन्द्र कुमार
- 2- डॉ० रवि सनवाल
- 3- डॉ० संदीप अग्रवाल
- 4- चमन कुमार
- 5- विमल कुमार

विज्ञान संकाय

भौतिक विज्ञान विभाग

- 1- डॉ० एस० पी० सिंह

वनस्पति विज्ञान विभाग

- 1- डॉ० कमलेश भाकुनी

जन्तु विज्ञान विभाग

- 1- डॉ० धर्मन्द्र कुमार राठौर

रसायन विज्ञान विभाग

- 1- कु० प्रीति वर्मा

गणित विभाग

- 1- श्री विजय डालाकोटी

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

पुस्तकालय

- 1- श्री कमल सिंह (कार्यवाहक)

कार्यालय

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1- श्रीमती प्रमिला पलियाल | प्रशासनिक अधिकारी |
| 2- श्री अहमद हुसैन | प्रवर सहायक |
| 3- श्रीमती चन्द्रा जोशी | प्रवर सहायक |
| 4- श्री विनोद पाटनी | उपनल आशुलिपिक |

प्रयोगशाला सहायक

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1- श्री दौलत सिंह | वनस्पति विज्ञान |
| 2- रिक्त | जन्तु विज्ञान |
| 3- श्री दिनेश लाल पटवा | भौतिक विज्ञान |
| 4- श्रीमती नीमा सार्की | भूगोल |
| 5- श्री कमल सिंह | टैक्नीशियन भौतिकी |
| 6- रिक्त | रसायन विज्ञान |
| 7- श्रीमती मीना मेहता | गृह विज्ञान |
| 8- रिक्त | मनोविज्ञान |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1- श्री लक्ष्मी दत्त जोशी | - दफ्तरी |
| 2- श्री शंकर | - स्वच्छक/ चौकीदार |
| 3- श्री प्रेम गिरी | - कार्यालय अनुसेवक |
| 4- | - पद रिक्त |
| 5- | - पद रिक्त |
| 6- श्री पुष्कर राम | - कार्यालय अनुसेवक |
| 7- श्री खुशाल सिंह बोहरा | - " |
| 8- श्री मनोहर सिंह देव | - " |
| 9- बृज मोहन (उपनल) | - |
| 10- रवीन्द्र कुमार (उपनल) | - |

☆ वगोली आफसैट प्रिंटिंग प्रेस लोहाघाट ☎ 234069 ☆

Kumaun University Nainital

(Proposed ACADEMIC CALENDER FOR 2015-16)

- | | | |
|--|---|--|
| 1- Sale of admission forms for all classes | : | 16 June, 2016* |
| 2- Last date of submission of admission forms | : | 25 June, 2016* |
| 3- Last date of admission in 1 st year | : | 15 July, 20 16* |
| 4- Date of commencement of Teaching : Campuses | : | 16 July, 20 16* |
| All Affiliated College | : | 1 August, 2016 |
| 5- Last Date of Admission for all classes except UG 1 st year will be within 15 days of declaration of result | | |
| 6- Improvement Examinations for al Classes | : | September 2016* |
| 7- Entrance Thst for Ph.D. Programmes | : | December, 2016* |
| 8- Last date for Submission of Examination forms (Reg./Pvt.) | : | 15 Dec. 2016* |
| 9- Submission of Examination forms with late fee (Reg./Pvt.) | : | 15 January, 2017* |
| 10- Meeting of all BOS/RDC | : | Oct./Nov. 2017 |
| 11- Meetings of Board of Faculty | : | Oct. 2017 |
| 12- Meeting of Academic Council | : | December 2017 |
| 13- Educational Tours (All UG/PG classes, if prescribed in the syllabus) | : | During Winter Vacatio: |
| 14- Winter Vacation (For campuses only) | : | 01 Janaury, 2017 to
10 Feburary, 2017 |
| 15- Re-opening of campuses | : | 11 Feburary, 2017 |
| 16- University Annual Examination start | : | March, 2017 |
| 17- Last date for Practical Examination (UG/PG classes): | : | 16 March, 2017 |
| 18- Summer vacation (For Campuses) | : | 16 June, 2017 to
30 June, 2017 |
| 19- Results of all classes to be declared by | : | June, 2017 |
| 20- B.Ed. /M.Ed. Entrance Exam. | : | June/July, 2017 |
| 21- LL.B./LL.M. Entrance Exam. June/July, 2017 | | |

Kumaun University Nainital

(Propued ACADEMIC CALENDER (Semester System) For 2016-17)

(Odd Semester)

1- Sale of admission forms for all classes*	:	30 July,2016
2- Last date for submission of admission forms*	:	16 August,2016
3- Last date for admission in all classes	:	20 August,2016
4- Date of commencement of Teaching	:	30 August,2016
5- Last date for Submission of Examinations forms	:	05 Nov., 2016
6- Last date for Practical Examinations	:	15 Dec.,2016
7- University Semester Examination	:	16 Dec., 2016 to 31 Dec. 2016
8- Winter Vacation	:	01 Jan.2017 to 10 Feb2017

(Even Semester)

1- Sale of admission forms	:	02 Feb,2017
2- Last date for submission of admission forms	:	09 Feb, 2017
3- Last date for admission in all classes	:	11 Feb 2017
4- Date of Commencement of Teaching	:	19 Feb. 2017
5- Last date for Submission of Examinations forms	:	16 April, 2017
6- Last date for Practical Examinations	:	31 May, 2017
7-University Semester Examination	:	01 June, 2017 to 15 June, 2017
8- Summer Vacation	:	16 June.2017 to 30 June,2017

1. **महाविद्यालय की संदृष्टि (VISION)** महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के विविध क्षेत्रों ज्ञान विज्ञान शोध प्रसार प्रशिक्षण एवं रचनात्मक परामर्शदाता की राष्ट्रीय चरित्र की छवि वाले सृजनात्मक ज्ञान केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित करना, जिसकी गुणवत्ता के लिये लोकप्रिय ख्याति हो, तथा जो शिक्षार्थियों को उनकी सम्पूर्ण दक्षता को पहचानने तथा उसका व्यक्तित्व व राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण उपयोग करने की महज भावना के साथ, राष्ट्र की प्रगति को उपलब्ध करा सके।
2. **महा विद्यालय द्वारा आगामी वर्षो हेतु निर्धारित लक्ष्य (MISSION)** पर्वतीय पृष्ठभूमि वाले प्रदेश एवं राष्ट्रीय चरित्र की भावना उजागर करने, उत्तराखण्ड को ज्ञान प्रदेश के रूप में स्थापित कर राष्ट्रीय उन्नयन में राज्य का योगदान महत्वपूर्ण रूप में सुनिश्चित करने हेतु उत्कृष्टता को प्रतिबद्ध नवीन दक्षताओं एवं नैतिक मूल्यों से प्रेरित गुणवत्तापूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन, शोध, प्रसार एवं परामर्श के द्वारा पारम्परिक एवं आधुनिक क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन एवं सम्प्रेषण तथा कला विज्ञान एवं संस्कृति के प्रवर्तन के माध्यम से मानव संसाधनों का अनुकूलतम विकास।



P.G. Block

- 1- Sale of Application Form from :- 11.07.2016 to
20.07.2016
- 2- Last Date of Submission of Admission forms
in 1st year :- 20.07.2016
- 3- Last Date of Admission in B.A. I, B.Com. I,
B.Sc. I :-
31.07.2016
- 4- Date of Commencement of teaching in all
classes :- 01.08.2016